27.06.2019 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 18.06.2019 के सहमतीपत्र, तहसीलदार बेगू की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के आदेश। परिपत्र क्रमांक / BR/LR/NLRMP/ F-126/ पार्ट-2/ 10164-96 दिनांक 26.09.17 के अनुसार DILRMP में खातेदारो के हिस्से की घोषणा के तहत दिये गए निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार सहमतीपत्र मुताबिक हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अदालत
कस्म मुक

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 65/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

................वादी

बनाम

1. कमलकिशोर पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. प्रदीप कुमार पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. सुरेन्द्र पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. कृष्णा पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. शारदा पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. सुशिला पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. सुमित्रा पिता देवालाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. रतनलाल पिता भागीरथ हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 8

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित होकर सुना गया एवं सहमति पत्र तैयार किया गया निर्णय हेतु पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 861 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम नंदवाई में खाता संख्या 38 सं0 2072–75 में दर्ज आराजी नं. 783, 784 किता– 2 रकबा 0.17 हैक्टर कमलकिशोर, प्रदीपकुमार, सुरेन्द्र, कृष्णा, शारदा, सुशिला, सुमित्रा, पिता देवीलाल, रतनलाल पिता भागीरथ हरिजन साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। रेकार्ड भू–प्रबन्ध खाता संख्या 169 में उक्त खाता देवीलाल रतनलाल पिता भागीरथ हरिजन के नाम पर था जो बाद में नामान्तरण संख्या 716 से देवीलाल के वारिसान के नाम दर्ज हुए है। वादी भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। कोर्ट कैम्प में प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को सभी पक्षकारान के उपस्थित न आने पर पत्रावली को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि उक्त

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चितौडगढ़)

-----लगातार-----

Scanned by CamScanner

वर्णित आराजीयात पैतृक होकर भागीरथ की विरासत से देवीलाल रतनलाल पिता भागीरथ हरिजन के नाम दर्ज हुई है तथा देवीलाल की विरासत से कमलकिशोर, प्रदीपकुमार, सुरेन्द्र, कृष्णा, शारदा, सुशिला, सुमित्रा का नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार वर्णित आराजी में देवीलाल के वारिसान का 1/2, रतनलाल पिता भागीरथ का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2–1/2 हिस्से मुताबिक काबिज है। उपस्थित मौतबीरान की जानकारी में मौके पर भागीरथ का सजरा बनाया गया तथा उपस्थित पक्षकारान को बताया कि उक्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा बनता है, जिसको सभी ने स्वीकार किया है।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, DILRMP के तहत प्रत्येक खातेदार के हिस्से दर्ज करने के निर्देश होने से ग्राम नंदवाई के खाता संख्या 38 सं. 2072–75 में दर्ज आराजी संख्या 783, 784 किता– 2 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि में खातेदारो के हिस्से की घोषणा की जाकर उक्त खाता कमलकिशोर, प्रदीपकुमार, सुरेन्द्र, कृष्णा, शारदा, सुशिला, सुमित्रा, पिता देवीलाल, हि.ब. 1/2, रतनलाल पिता भागीरथ 1/2 जाति हरिजन साकिन देह खातेदार के अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम नंदवाई के खाता संख्या 38 सं. 2072–75 में दर्ज आराजी संख्या 783, 784 किता– 2 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि में खातेदारो के हिस्से की घोषणा की जाकर उक्त खाता कमलकिशोर, प्रदीपकुमार, सुरेन्द्र, कृष्णा, शारदा, सुशिला, सुमित्रा, पिता देवीलाल, हि.ब. 1/2, रतनलाल पिता भागीरथ 1/2 जाति हरिजन साकिन देह खातेदार रखते हुए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश भैरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 65/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

.......................वादी

बनाम

1. श्री कमलकिशोर पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. प्रदीप कुमार पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. सुरेन्द्र पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. कृष्णा पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. शारदा पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. शिला पिता देवीलाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. सुमित्रा पिता देवालाल हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. रतनलाल पिता भागीरथ हरिजन निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

.... प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम नंदवाई के खाता संख्या 38 सं. 2072–75 में दर्ज आराजी संख्या 783, 784 किता– 2 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि में खातेदारो के हिस्से की घोषणा की जाकर उक्त खाता कमलकिशोर, प्रदीपकुमार, सुरेन्द्र, कृष्णा, शारदा, सुशिला, सुमित्रा, पिता देवीलाल, हि.ब. 1/2, रतनलाल पिता भागीरथ 1/2 जाति हरिजन साकिन देह खातेदार रखते हुए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19
(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner